प्रेस नोट
दिनांक 18.03.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा सरकारी टेण्डर में धोखाधड़ी व भ्रष्टाचार करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-
श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व प्रभारी क्षेत्राधिकारी नगर श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-884/25, धारा 318, 352, 351(3) बीएनएस व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 से सम्बन्धित अभियुक्त विद्याभूषण मिश्रा को उनके कार्यालय (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा) से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 04.11.2025 को मा0 न्यायालय श्रीमान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश /भ्र0नि0 कोर्ट संख्या-5 गोरखपुर के निर्देश पर थाना कोतवाली नगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें वादी मनोज पाण्डेय पुत्र राम इन्दर पाण्डेय नि0 ग्राम किन्की, थाना मोतीगंज, जनपद गोण्डा द्वारा बताया गया कि बेसिक शिक्षा विभाग, जनपद गोण्डा में फर्नीचर आपूर्ति हेतु GEM पोर्टल के माध्यम से उनकी फर्म के चयनित होने के बाद उनसे कार्य दिलाने के नाम पर बेसिक शिक्षा अधिकारी अतुल कुमार तिवारी, DC (GEM) प्रेम शंकर मिश्र एवं DC (Civil) विद्याभूषण मिश्र द्वारा लगभग ₹50 लाख की अवैध धनराशि की मांग की गई, वादी द्वारा आंशिक रूप से धनराशि देने के बाद भी शेष धनराशि हेतु लगातार दबाव बनाया गया तथा भुगतान न करने पर टेंडर निरस्त कराने व फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी गई। बाद में प्रार्थी का कुछ धन वापस किया गया, जबकि शेष धनराशि वापस नहीं की गई और प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। और षड्यंत्रपूर्वक उसका आर्थिक व मानसिक उत्पीड़न किया गया तथा फर्म को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। जिसमें आज दिनांक 18.03.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए अभियुक्त विद्याभूषण मिश्रा को उनके कार्यालय (जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गोण्डा) से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-
01. विद्या भूषण मिश्रा पुत्र राम उजागिर मिश्रा निवासी बरुई थाना कोतवाली देहात जनपद सुल्तानपुर, वर्तमान पता – गायत्री पुरम मानस बिहार कालोनी थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 884/2025 धारा 318(4), 352, 351(3) बीएनएस व 7/13 भ्रष्टाचार निवारण अधि0 थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-
01. उ0नि0 अजय कुमार तिवारी मय हमराह
02. कां0 विनय प्रताप
03. कां0 संदीप कुमार
04. कां0 देव कुमार
05. कां0 चन्द्रजीत चौहान

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 18.03.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग वालक के साथ अप्राकृतिक दुराचार करने के आरोपी अभियुक्त को हुई आजीवन कारावास व रूपये 30,500/- के अर्थदण्ड की सजा-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

थाना छपिया क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना छपिया पर तहरीर दी गई कि दिनांक 29.12.2023 को उसके लड़के उम्र 9 वर्ष के साथ बिहार से गन्ना छिलाई करने आये धर्मेन्द्र शाहू पुत्र रामजी शाहू नि0 ग्राम कोहरा बेगही थाना पुजहा परजीरवा जनपद बेतिया (बिहार) द्वारा जबरदस्ती अप्राकृतिक दुराचार किया गया था । जिसके सम्बन्ध में थाना छपिया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ था । जिसमें थाना छपिया पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्त धर्मेन्द्र शाहू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तथा तत्कालीन विवेचक क्षेत्राधिकारी श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 08.01.2024 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के आदेश के क्रम एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 18.03.2026 को थाना छपिया में पंजीकृत नाबालिग से अप्राकृतिक दुराचार सम्बन्धी अपराध में अभियोजक श्री अशोक कुमार सिंह, थाना छपिया के पैरोकार भोलानाथ व कोर्ट मोहर्रिर म0आ0 वन्दना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष पॉक्सो कोर्ट गोण्डा महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त धर्मेन्द्र शाहू को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व रू0 30,500/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता-

01. धर्मेन्द्र शाहू पुत्र रामजी शाहू नि0 ग्राम कोहरा बेगही थाना पुजहा परजीरवा जनपद बेतिया (बिहार) ।

अभियोग का विवरण-

01. मु0अ0सं0-357/2023, धारा 377,342 भादवि, 5M/6 पॉक्सो एक्ट व 3(2)(V) Sc/St Act थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।